

**Govt. Employees (Urban) Co-operative
Thrift & Credit Society Ltd.
159,160,161. 1st Floor, Cycle Market,
(Opp. Videocon Tower), Jhandewalan Extn.
New Delhi-55 (Tele: 011-23554067, 011-43501273)
Website: www.gechpcs.com, E-mail govtsocietydelhi@gmail.com**

**Guidelines for “Govt. Employees T/C Meritorious
Award”**

1. Cash or Cheque of Rs.3100/- as decided by the Managing Committee from time to time, would be given to the child of a member for passing 12th class secured 90% and above marks in their main five subjects. The marks of additional subject will not be taken into account for calculating the percentage.
2. Children of only bonafide Members will be considered for this award.
3. If mother and father both are members of the society then either Mother or Father, may claim this award for their child.
4. After verification of the marks from the CBSE this award will be disbursed.
5. Children who qualified this exam from the examination board other than CBSE are requested to verify their marks on the prescribe application form from the Principal of respective school/ college.
6. This award is for only current year. No request would be considered for previous years.
7. As far as possible this felicitation will be done in the AGM. However parents of the child may collect the cash award from society office before 31st March of the next year of qualifying year.

Note: - Members are requested to apply for cash award in prescribed application form.

गवर्नमेंट एम्प्लाइज टी/सी मेरिटोरियस अवार्ड के लिए दिशा निर्देश

1. सोसाइटी की कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार जिन सदस्यों के बच्चों ने 12 वी कक्षा के मुख्य पांच विषयों (चालू वर्ष में) में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें 3100/- रुपये का नकद या चेक के द्वारा प्रुस्कृत किया जाएगा |
2. प्रतिशत की गणना के लिए अतिरिक्त विषय के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. इस पुरस्कार के लिए केवल सोसाइटी के सदस्यों के बच्चों पर ही विचार किया जाएगा।
4. यदि माता और पिता दोनों सोसाइटी के सदस्य हैं तो माता या पिता दोनों में से कोई एक ही अपने बच्चे के लिए इस पुरस्कार का दावा कर सकता है।
5. सीबीएसई से अंकों के सत्यापन के बाद यह पुरस्कार दिया जाएगा।
6. सीबीएसई के अलावा अन्य परीक्षा बोर्ड से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले बच्चों से अनुरोध है कि वे संबंधित स्कूल / कॉलेज के प्राचार्य से निर्धारित आवेदन पत्र पर अपने अंकों का सत्यापन कराये।
7. यह पुरस्कार केवल चालू वर्ष के लिए है। पिछले वर्षों के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. जहां तक संभव होगा यह पुरस्कार एजीएम में दिया जाएगा। यदि, बच्चे के माता-पिता चाहे तो उत्तीर्ण वर्ष के अगले वर्ष के 31 मार्च से पहले सोसायटी कार्यालय से नकद पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

नोट:- सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र में नकद पुरस्कार के लिए आवेदन करें।